FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0223 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/08/2026 16:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/06/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:40 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/08/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/08/2026 16:26:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARAYALAY SAHAYAK ABHIYANTA JAL SANSADHAN UPKHAND-3, MANOHARTHANA, JILA JHALAWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAHUL LODHA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABULAL LODHA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BADGAON, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BADGAON, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANSHARAM		पिता:BAJRANG	1. SANWATGARH,HINDOLI,BUNDI
2	ANIL LODHA		पिता:CHAMPALAL	1. BELAS,BADGAON,MANOHAR THANA,JHALAWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2026 को सांयकाल में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत का मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान के मोबाईल पर कॉल आया तथा बताया कि 1064 ब्यूरो मुख्यालय से कॉल आया था कि परिवादी श्री राहुल लोधा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ ने रिश्वत मांग के सम्बंध में शिकायत दी है, उन्होने मुझे परिवादी राहुल लोधा के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उससे शिकायत प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस पर मैने परिवादी श्री राहुल लोधा के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उससे शिकायत के सम्बंध में पूछताछ की, उसने बताया कि मैं कल दिनांक 17.05.2026 को आपके एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर शिकायत का प्रार्थना पत्र पेश कर दूंगा। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित कि गया कि आप दिनांक 17.05.2026 को कार्यालय में उपस्थित रहकर परिवादी श्री राहुल लोधा से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उस पर अग्रिम कार्यवाही करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दिनांक 17.05.2026 को कार्यालय में उपस्थित था। लगभग 01.40 पीएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा कार्यालय में उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राहुल लोधा पुत्र श्री बाबूलाल लोधा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ मो0नं0 होना बताकर स्वयं हस्त लिखित एक प्रार्थना पत्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम रिश्वत खोर अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने बाबत इस आषय का पेश किया कि "मैं राहुल लोधा पिता बाबूलाल लोधा बड़गांव, मनोहरथाना का रहने वाला हूं। मैं अपनी शामलाती पैतृक भूमि रकबा लगभग 3 बीघा जो कि कालीखाड़ डेम के किनारे उत्तर दिशा में है, जहां पर डेम डूब क्षैत्र में खाताबंदी की जगह से जिसका सरकार द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया गया है। वहां से मैं अच्छी गुणवता वाली मिट्टी तीन-चार दिन पहले अपने खेत में ला रहा था। उसी दिन रात को सहायक अभियन्ता मनसाराम जी ने मेरे जेसीबी चालक के पास फोन किया कि तुम अवैध रूप से मिट्टी निकाल रहे हो। जेसीबी चालक ने उसी समय मेरी भी बात मनसाराम जी से कराई। मनसाराम जी ने मुझे धमकाते हुये कहां कि दस हजार रूपये आपको देने पडेगे, नहीं तो मैं आपकी जेसीबी और ट्रेक्टर सब जब्त करवा दूंगा। अगले दिन मनसाराम जी के दलाल अनिल लोधा से मैं मिला तो उसने भी दस हजार रूपये देने की बात कही। मैं इन दोनों को रिश्वत नही देना चाहता, बल्कि रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे (दोनो से) कोई पुराना लेनदेन बकाया नही है। अत श्रीमान उक्त दोनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दरियाफ्त पर पूछताछ करने पर परिवादी राहुल लोधा ने बताया कि मनसाराम जी सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग मनोहर थाना ने मुझसे दलाल श्री अनिल लोधा से मिलने की कहा है। मैं जब उससे मिला तो उसने भी दस हजार रूपये रिश्वत की देने की कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने एवं कार्यालय डीवीआर में रिश्वत मांग की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा कहा गया कि आज तो मेरे जरूरी काम है, मैं कल दिनांक 18.05.2026 को सहायक अभियन्ता श्री मनसाराम जी व दलाल श्री अनिल लोधा की पता कर आपको कॉल कर दूंगा। इस पर आप आपके कार्यालय से किसी एसीबी कर्मचारी को डीवीआर देकर मनोहरथाना भिजवा देना। चूंकि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की धारा 7, 7ए एवं 61(2) बीएनएस की परिधि में आना पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बाद में रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 425 को मेरे कक्ष में बुलवाकर परिवादी श्री राहूल लोधा से आपसी परिचय करवाकर एक दूसरे के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर निर्देशित किया गया कि रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना है। परिवादी श्री राहुल लोधा के कॉल करने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने मनोहरथाना जाना है तथा परिवादी को भी गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया। अत आईन्दा परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। दिनांक 18.05.2026 समय 09.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान अपने कक्ष में उपस्थित था। श्री देवदान सिंह कानि0 425 द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री राहुल लोधा का मेरे मोबाईल पर कॉल आया है। उसने बताया है कि दोनों आरोपी व दलाल आज मनोहरथाना में ही उपस्थित है। आप टेप रिकॉर्डर लेकर मनोहरथाना आ जाओ। मैं रिश्वत मांग का गोपनीय

सत्यापन करवा दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल एएसआई को कक्ष में बुलवाकर मामले गोपनीयता की समझाईश कर कार्यालय मालखाना में रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 को जरिये श्री गोपाल लाल स.उ.नि. से निकलवाया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) लगाकर चैक कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने मनोहरथाना जाकर परिवादी श्री राहुल लोधा से सम्पर्क कर उसको डीवीआर चालू व बन्द करने का तरीका समझाकर परिवादी राहुल लोधा को आरोपीगण श्री मनसाराम सहायक अभियन्ता व दलाल श्री अनिल लोधा के पास भिजवाकर परिवादी के साथ-साथ दूर से परिवादी पर निगरानी रखकर गोपनीय रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को मनोहरथाना के लिए रवाना किया गया। समय 06.00 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 मनोहरथाना से कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं यहां से रवाना होकर समय करीब 12.05 पीएम पर परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल बताये स्थान मनोहरथाना से पहले कुछ दूरी पर पेट्रोल पम्प पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री राहुल लोधा उपस्थित मिला। जहां पर मैनें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री राहुल लोधा को संचालन विधि समझाकर सुपुर्द किया। इसके बाद मैं व परिवादी श्री राहुल लोधा अपने-अपने वाहनों से अवन्ति बाई चौराहा मनोहरथाना आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की मोटरसाईकिल सर्विस व धुलाई की दुकान से कुछ दूरी पर रूके मैंने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर उसके वाहन से आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा से रिश्वत की मांग का सत्यापन हेतु रवाना किया। मैने अपना वाहन साईड में खड़ा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी दलाल की दुकान से कुछ दूरी बनाकर मुकिम रहकर परिवादी व दलाल को देख रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री राहुल लोधा व दलाल श्री अनिल लोधा अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना हुये। मैं भी उनके पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। परिवादी व दलाल तहसील मनोहरथाना परिसर में स्थित जल संसाधान विभाग के कार्यालय में पहुंचे, मैं भी अपनी मोटरसाईकिल को साईड में खड़ा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये जल संसाधन कार्यालय के बाहर मुकिम रहकर दलाल व परिवादी को देख रहा था। कुछ समय बाद दोनों कार्यालय से बाहर आये। दलाल अपनी मोटरसाईकिल से अपनी दुकान की ओर रवाना हुआ तथा परिवादी को मैनें इशारे से तहसील के पास रोका तो परिवादी ने मुझे बताया कि हमारी जेईएन साहब मनसाराम जी से रिश्वत की बात हो गई है। मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर उन्होंने आठ हजार रूपये देने की हामी भर दी है। इस पर मैनें परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर एकान्त में परिवादी को साथ ले जाकर डीवीआर चालू कर वार्ता को सुना तो उसमें आठ हजार रूपये रिश्वत मांग की स्पष्ट मांग होना नहीं पाया। इस पर मैनें परिवादी श्री राहुल लोधा को समझाईस कर पुन जेईएन श्री मनसाराम के पास जाकर स्पष्ट रिश्वत की मांग करने की कहा तथा पुन डीवीआर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चालू करवाकर रवाना किया तथा मैं भी अपनी उपस्थिति छुपाकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय के नजदीक पहुंचा। परिवादी श्री राहुल लोधा अपनी मोटरसाईकिल बाहर खड़ा कर जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में गया तथा कुछ समय बाद बाहर आकर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। मैं बाहर तहसील परिसर में परिवादी का इन्तजार कर रहा था। परिवादी मेरे पास आकर रूका। परिवादी को मैं एकान्त में ले गया। परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर चालू कर सुना तो उसमें आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग की वार्ता होना पाया गया तथा जेईएन द्वारा दलाल श्री अनिल लोधा से सम्पर्क कर उसे देने की कहा गया। परिवादी ने बताया कि मैनें जेईएन साहब से कहा था कि अनिल तो दस हजार की कह रहा है, दस हजार तो बहुत ज्यादा हो जायेंगे, थोड़ा कम कर लो, क्यो कि मैं तो अपने ही खेत की मिट्टी उठा रहा हूं। मुझे अभी खेत का मुआवजा भी नहीं मिला। इस पर जेईएन साहब ने कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मुआवजा नहीं मिला। इस पर उन्होंने गुगल मैप पर मेरी जमीन की लोकेशन भी चैक की थी। उन्होंने आठ हजार रूपये दलाल श्री अनिल लोधा को देने की कहा है। इस पर मैंने पुन डीवीआर परिवादी को सुपुर्द कर डीवीआर चालू करवाकर दलाल श्री अनिल लोधा के पास जाकर जेईएन साहब के कहेनुसार आठ हजार रूपये देने की वार्ता करने हेतु कहा तथा परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर मैं भी उसके पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से अवन्ति बाई चौराहा मनोहरथाना दलाल श्री अनिल लोधा की मोटरसाईकिल सर्विस व धुलाई की दुकान के नजदीक दिखाई देने वाले स्थान पर रूका। परिवादी श्री राहुल लोधा, दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान पर पहुंचकर उससे वार्ता कर रहा था तथा कुछ देर वार्ता करने के उपरान्त अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। मैं भी अपनी मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी ने एकान्त में अपनी मोटरसाईकिल रोकी। मैं उसके पास पहुंचा। परिवादी श्री राहुल लोधा ने मुझे बताया कि मैंने दलाल श्री अनिल लोधा से कहा कि जेईएन साहब ने आठ हजार रूपये आपको देने के लिए कहा है। इस पर दलाल श्री अनिल लोधा मुझसे कहा, ठीक है दे जाना। मैं जेईएन साहब के पास पहुंचा दूंगा तथा मेरे भी अलग पांच सौ या हजार रूपये कर देना। इस पर मैंने अनिल लोधा से कहा कि उसकी चिन्ता मत करो, आपको भी दे देंगे। मैं एक दो दिन में रूपयों का इन्तजाम कर आपको दे जाउंगा। इस पर मैंने परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर चालू कर सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टी होना पाया गया। परिवादी ने मुझसे दिनांक 20.05.20206 को रिश्वत राशि का इन्तजाम कर एसीबी कार्यालय झालावाड़ में आने की कहा। इस पर मैंने परिवादी को गोपनीयता की

हिदायत कर रूकसत किया तथा मैं डीवीआर लेकर मनोहरथाना से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को सुना तो श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने दिनांक 20.05.2026 को एसीबी कार्यालय में रिश्वत राशि लेकर उपस्थित होने की कहा है । हालात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को अर्ज किये गये तथा फर्द प्राप्ति डीवीआर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.15 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 के बतायेनुसार दिनांक 20.05.2026 को ट्रैप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अत दो स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 587 दिनांक 18.05.2026 मुर्तिब कर श्रीमान उप वन संरक्षक झालावाड़ के मोबाईल पर व्हाट्स एप कर बाद, जरिये मोबाईल वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 20.05.2026 को कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। आईन्दा परिवादी श्री राहुल लोधा के रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित होने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। डीवीआर को सुरक्षित श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर कार्यालय मालखाना में रखवाया गया।
दिनांक 20.05.2026 समय 06.00 ए.एम. पर परिवादी श्री राहुल लोधा पुत्र श्री बाबूलाल लोधा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ मो0नं0 एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 18.05.2026 देवदान जी मनोहरथाना आ गये थे। मैंनें आरोपी श्री मनसाराम जेईएन व दलाल श्री अनिल लोधा से रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दिया था। जिसको मैंनें आप द्वारा श्री देवदान जी के साथ भिजवाये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। जेईएन साहब श्री मनसाराम जी से मैंने डेम पर स्थित मेरे खेत से दूसरे खेत में उपजाऊ मिट्टी डालने की कहा था। इस पर उन्होने दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर आठ हजार रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होकर दलाल श्री अनिल लोधा को देने के लिए कहा है। मैं जेईएन साहब श्री मनसारामजी के कहेनुसार दलाल श्री अनिल लोधा को 8,000/- रूपये रिश्वत राशि देने हेतु साथ लेकर आया हूं। मेरे द्वारा आपको दिनांक 17.05.2026 को पेश प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा से दरियाफ्त कर पूछताछ कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 06.05 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा कार्यालय उप वन संरक्षक झालावाड़ के पत्रांक 6000 दिनांक 19.05.2026 के साथ दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाकर उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति भील उम्र 34 वर्ष निवासी प्राईमरी स्कूल के पीछे, नई आबादी असनावर पुलिस थाना व तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ मों.न. व दूसरे ने अपना नाम श्री रितिक बागड़ी पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति खटीक उम्र 31 वर्ष निवासी पाटीदार धर्मशाला के सामने नई आबादी असनावर पुलिस थाना व तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ मों.न. होना बताया। इस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री राहुल लोधा से दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2026 को पढकर सुनाया गया तथा कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से वार्ता कर प्रार्थना पत्र पढकर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर, कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की गई। समय 06.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल सउनि को निर्देश देकर मालखाना से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर उपस्थित दोनो गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त व श्री रितिक बागड़ी को बताया कि परिवादी श्री राहुल लोधा एवं आरोपी श्री मनसाराम जेईएन व दलाल श्री अनिल लोधा के मध्य दिनांक 18.05.2026 को समय 12.23 पीएम से, अवन्ति बाई चौराहा मनोहरथाना में आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की मोटरसाईकिल सर्विस व धुलाई की दुकान पर दलाल श्री अनिल लोधा से तथा तहसील परिसर में स्थित जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में आरोपी श्री मनसाराम जेईएन से रिश्वत मांग सत्यापन की गोपनीय वार्ता प्रथम हुई थी। जिसको परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) में रिकॉर्ड किया था। उक्त रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुना गया तथा वार्ता में हुई आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई, उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा व तीसरी आवाज आरोपी श्री मनसाराम सहायक अभियन्ता की होना सुन कर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ताओं को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.00 ए.एम पर उपस्थित दोनो गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त व श्री रितिक बागड़ी को बताया कि परिवादी श्री राहुल लोधा एवं आरोपी श्री मनसाराम जेईएन के मध्य दिनांक 18.05.2026 को समय 02.26 पीएम से, तहसील परिसर में स्थित जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में रिश्वत मांग सत्यापन की गोपनीय वार्ता द्वितीय हुई थी। जिसको परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़

द्वारा सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) में रिकॉर्ड किया था। उक्त रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुना गया तथा वार्ता में हुई आवाजो की पहचान परिवादी द्वारा की गई, उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मनसाराम सहायक अभियन्ता की होना सुन कर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ताओं को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.20 ए.एम पर उपस्थित दोनो गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त व श्री रितिक बागड़ी को बताया कि परिवादी श्री राहुल लोधा एवं आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के मध्य दिनांक 18.05.2026 को समय 02.46 पीएम से, दलाल की मोटरसाईकिल सर्विस एव धुलाई की दुकान, अवन्ति बाई चौराहा मनोहरथाना पर रिश्वत मांग सत्यापन की गोपनीय वार्ता तृतीय हुई थी। जिसको परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) में रिकॉर्ड किया था। उक्त रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुना गया तथा वार्ता में हुई आवाजो की पहचान परिवादी द्वारा की गई, उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की होना सुन कर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ताओं को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.00 ए.एम पर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त व श्री रितिक बागड़ी की मौजूदगी में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा आरोपी श्री मंशाराम जेईएन, जल संसाधन विभाग मनोहरथाना की मांग अनुसार आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा को रिश्वत राशि देने हेतु 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त सउनि को रिश्वत में दिये जाने वाली राशि के नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 8000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदश्य रहे तथा स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्तीकान्त भील से परिवादी श्री राहुल लोधा की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 8000/- रूपये परिवादी श्री राहुल लोधा की पहनी पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री राहुल लोधा को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री मंशाराम जेईएन, जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के कहेनुसार आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उन्हें देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी दलाल से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी दलाल द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी दलाल के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री लक्ष्मीकान्त भील व श्री रितिक बागड़ी एवं परिवादी श्री राहुल लोधा व उपस्थित गण को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में

डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रैप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रैप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुन समझाकर परिवादी श्री राहुल लोधा को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टांत तैयार करवाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.50 ए.एम पर ट्रैप कार्यवाही की पूर्व की तैयारी पूर्ण होने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त, वरिष्ठ सहायक व श्री रितिक बागड़ी कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाललाल सउनि को मय सरकारी बोलेरो चालक श्री छोटूलाल कानि 534 के मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय आवश्यक सामग्री के कार्यालय से मनोहरथाना के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय परिवादी श्री राहुल लोधा व एसीबी जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री शिवराज कानि 166, श्री शीशराम कानि 126 मय प्राईवेट वाहन से कार्यालय से मनोहरथाना के लिए रवाना हुआ। श्री इस्माईल अंसारी सउनि को कार्यालय में ही छोड़ा गया। समय 12.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री राहुल लोधा, दोनो स्वतंत्र गवाह व एसीबी जाब्ता के मय प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन बोलेरो से मनोहरथाना से कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पम्प के पास रूका। परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा पेट्रोल पम्प पर अपने परिचित से एक मोटरसाईकिल मंगवाई गई थी जो उपस्थित मिला। पेट्रोल पम्प के पास ही दो टीमे गठित कर श्री गोपाल लाल सउनि, स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शिवराज कानि0 166 मय सरकारी बोलेरो चालक श्री छोटूलाल के आरोपी श्री मंशाराम जेईएन जल संसाधन विभाग, तहसील परिसर मनोहरथाना में स्थित कार्यालय में आरोपी श्री मंशाराम की निगरानी हेतु समझाईस कर स्थिति से अवगत करवाने हेतु रवाना किया तथा परिवादी को डीवीआर चालू करने व आरोपी दलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर इशारा करने की हिदायत कर आरोपी श्री मंशाराम जेईएन के कहेनुसार आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा को रिश्वत राशि 8,000/-रूपये देने हेतु आरोपी दलाल की मोटरसाईकिल सर्विस व धुलाई की दुकान, अवन्ति बाई चौराहा, मनोहरथाना के लिए उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय एसीबी टीम श्री देवदान सिंह कानि0 425, श्री शीशराम कानि0 126 मय स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीकान्त मय प्राईवेट वाहन से रवाना होकर अवन्ति बाई चौराहा से कुछ दूरी पर प्राईवेट वाहन को खड़ा कर आरोपी दलाल की दुकान के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाह व मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के रिश्वत राशि देने के इशारे की प्रतिक्षा में मुकिम होकर ट्रैप जाल बिछाया गया। परिवादी श्री राहुल लोधा अपनी मोटरसाईकिल से आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान पर पहुंचा। कुछ देर वार्ता करने के बाद परिवादी श्री राहुल लोधा बिना कोई इशारा किये अपनी मोटरसाईकिल स्टार्ट कर रवाना हुआ इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम को एकत्रित कर प्राईवेट वाहन से परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी कुछ दूरी पर एकान्त में जाकर रूका। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी ने बताया कि मैं अनिल लोधा अपनी दुकान पर नही है, उसके दुकान पर काम करने वालो ने बताया है कि अनिल जी अभी अपने गांव की तरफ गये है, कुछ समय बाद आयेगे। इस पर एकान्त में गोपनीय स्थान पर ही रूकने का निर्णय लिया गया। कुछ समय बाद परिवादी को आरोपी दलाल की दुकान पर भिजवाया जायेगा। समय 01.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद आफाक सउनि के मोबाईल पर कॉल कर आरोपी श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता की उपस्थिति बाबत् पूछा तो श्री मोहम्मद आफाक सउनि ने बताया कि जल संसाधन विभाग खुला हुआ है तथा उसमें कर्मचारी उपस्थित है। मैं और एसीबी टीम के सदस्य तहसील परिसर मनोहरथाना में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय जल संसाधन विभाग के आस-पास मुकिम होकर आने-जाने वालों की निगरानी रखे हुये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जल संसाधन विभाग के आस-पास ही मुकिम रहकर निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 02.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा को आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के उसकी दुकान पर उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल पर कॉल कर सूचना देने हेतु उसकी मोटरसाईकिल से अवन्ति बाई चौराहा की ओर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के गोपनीय स्थान पर ही मनोहरथाना में मुकिम रहा। समय 04.00 पी.एम पर श्री मोहम्मद आफाक सउनि ने मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर अवगत करवाया कि जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के ताला लगाकर दो व्यक्ति प्राईवेट वाहन से निकल गये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा को कॉल कर आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की जानकारी चाही गई तो परिवादी ने बताया कि मैं अवन्ति बाई चौराहा पर ही आरोपी दलाल की दुकान के पास ही उसका इन्तजार कर रहा हूं। परन्तु अभी तक अनिल लोधा अपनी दुकान पर नही आया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीय स्थान पर मेरे पास आने की हिदायत की गई तथा श्री मोहम्मद आफाक सउनि को कॉल कर

अपनी टीम के सदस्यो सहित मय बोलेरो वाहन से झालावाड़ एसीबी कार्यालय रवाना होने के निर्देश दिये गये। समय 04.15 पी.एम पर परिवादी श्री राहुल लोधा मय मोटरसाईकिल के गोपनीय स्थान पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को बताया कि जेईएन श्री मंशाराम कार्यालय से निकल गया है तथा परिवादी के बतायेनुसार आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा अभी तक अपनी दुकान मनोहरथाना पर नही आया है। ऐसी परिस्थिति में ट्रैप कार्यवाही की संभावना नही होने पर परिवादी श्री राहुल लोधा से डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी जेईएन कार्यालय से निकल चुका है और आरोपी दलाल भी अभी तक अपनी दुकान पर नही आया है। ऐसे में आज ट्रैप कार्यवाही की संभावना नही होने पर दिनांक 21.05.2026 को ट्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीकान्त को निर्देशित कर परिवादी से रिश्वत राशि 8,000/-रूपये जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर उसके पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कल दिनांक 21.05.2026 को पेट्रोल पम्प पर मय मोटरसाईकिल के उपस्थित मिलने के निर्देश देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय प्राईवेट वाहन के मनोहरथाना से कार्यालय एसीबी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 06.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से मय ट्रैप बॉक्स इत्यादि के उपकरणों के एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीकान्त भील के पास रखवाये गये रिश्वत राशि 8,000/-रूपये का लिफाफा श्री गोपाल लाल सउनि के सुपुर्द करवाया तथा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को भी श्री गोपाल लाल सउनि के सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। ट्रैप कार्यवाही दिनांक 21.05.2026 को आयोजन करने का निर्णय लिया गया। एसीबी जाब्ते को व दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दिनांक 21.05.2026 को सुबह 08.00एएम पर कार्यालय एसीबी झालावाड़ में उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। दिनांक 21.05.2026 समय 08.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। श्री गोपाल लाल सउनि को निर्देशित कर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये डीवीआर व 8,000/-रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा को निकलवाकर मंगवाया गया। रिश्वत राशि का लिफाफा स्वतंत्र गवाह रितिक बागडी को सुपुर्द कर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री गोपाललाल सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शिवराज कानि 166, स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त मय सरकारी बोलेरो चालक श्री छोटूलाल कानि 534 को हिदायत की गई कि वह कल की भांति तहसील परिसर में स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में पहुंचकर आरोपी श्री मंशाराम की निगरानी रखे बाद हिदायत एसीबी टीम को मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय आवश्यक सामग्री के कार्यालय से मनोहरथाना के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय एसीबी जाब्ता श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री शीशराम कानि 126 व स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी मय प्राईवेट वाहन से मनोहरथाना के लिए के रवाना हुआ। परिवादी को जरिये मोबाईल मनोहरथाना के पहले स्थित पेट्रोल पम्प के आस-पास उपस्थित मिलने की हिदायत की गई। समय 10.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी व एसीबी जाब्ता के मय प्राईवेट वाहन से मनोहरथाना से कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पम्प के पास रूका। परिवादी श्री राहुल लोधा पूर्व का पाबन्दशुदा पेट्रोल पम्प के पास मय मोटरसाईकिल के उपस्थित मिला। परिवादी को एक तरफ एकान्त में ले जाकर स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी के पास लिफाफे में सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 8,000/-रूपये को निकलवाकर परिवादी श्री राहुल लोधा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी के हाथों को प्लास्टिक की बोतल मे भरे पानी व साबुन से अच्छी तरह हाथ धुलवाये गये। परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत लेनदेन से पहले डीवीआर चालू करने व रास्ते में अनावश्यक रिश्वत राशि नही छुने व रिश्वत राशि लेनदेन होने के पश्चात पूर्व निर्धारित इशारा करने की हिदायत कर आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान अवन्ति बाई चौराहा मनोहरथाना के लिए रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह व एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। समय 10.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम प्राईवेट वाहन से अवन्ति बाई चौराहा आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान दिखाई देने वाले स्थान पर रूका। परिवादी श्री राहुल लोधा अपनी मोटरसाईकिल से दलाल की दुकान पर पहुंच चुका था। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन में ही परिवादी के रिश्वत राशि देने के इशारे की प्रतिक्षा में मुकिम रहा। समय 10.55 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास श्री मोहम्मद आफाक सउनि ने कॉल कर अवगत करवाया कि मैं व हमारी टीम के सदस्य सरकारी बोलेरो को एक साईड में खड़ा कर वाहन से उतरकर तहसील कार्यालय परिसर में स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के आस-पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाये हुये जेईएन श्री मंशाराम की निगरानी में मुकिम हो गये है। जल संसाधन कार्यालय खुला हुआ है तथा अन्दर कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी भी मौजूद है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उनको वही मुकिम रहकर कार्यालय में आने-जाने वालो की निगरानी व सूचना देने हेतु अग्रिम आदेश तक अपनी-अपनी पहचान छुपाकर वही मुकिम रहने की हिदायत की गई। समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा बिना कोई इशारा किये आरोपी दलाल की दुकान से अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी कुछ दूरी पर जाकर एकान्त में रूका। मन् पुलिस निरीक्षक प्राईवेट वाहन को

एक साईड में खड़ा कर परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी दलाल अपनी दुकान पर मौजूद नहीं है। इस पर मैनें दुकान पर काम करने वाले मिस्त्रीयों से अनिल लोधा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने गांव गया था गांव में जमीन का कोई विवाद होने के कारण लड़ाई-झगड़ा हो गया है। हमने उनको कॉल किया था, मगर उनका मोबाईल स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर मेरे द्वारा भी अनिल लोधा के मोबाईल पर कई बार कॉल लगाया, परन्तु अनिल लोधा का मोबाईल स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा लगता है कि गांव में लड़ाई-झगड़ा होने के कारण दलाल श्री अनिल लोधा द्वारा अपना मोबाईल स्विच ऑफ कर रखा है तथा आज उसके अपनी दुकान पर भी आने की संभावना कम ही है। ऐसी परिस्थितियों में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को समझाईस की गई कि आज आरोपी दलाल के अपनी दुकान पर मिलने की कोई संभावना नही है। तुम आरोपी जेईएन मंशाराम के पास जाकर कहो कि अनिल लोधा कल भी दुकान पर नही था तथा आज भी अपनी दुकान पर नही है व उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं तो आपके कहेनुसार 8,000/-रूपये अनिल लोधा को देने के लिए कल से लेकर घूम रहा हूं, परन्तु वह नही मिल रहा है। इस कारण मैंने अपना मिट्टी उठाने का काम भी रोक रखा है। आप यह रूपये लेकर मेरा काम चालू करवा दो। समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा को आरोपी जेईएन श्री मंशाराम को रिश्वत राशि देने हेतु एवं डीवीआर चालू करने की हिदायत कर आरोपी श्री मंशाराम के कार्यालय जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के लिए अपनी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन से परिवादी से कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ तथा पूर्व से जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के पास मौजूद एसीबी टीम को जरिये मोबाईल सूचित कर मुनासिब हिदायत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। समय 11.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय मनोहरथाना के पास पहुंचा। प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा कर एसीबी टीम को पीछे-पीछे आने का निर्देश देकर तहसील परिसर में स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय के आस-पास एसीबी टीम सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम होने का निर्देश दिया। पूर्व से भेजी गई एसीबी टीम के सदस्य भी तहसील परिसर में ही मौजूद थे। परिवादी श्रीर राहुल लोधा जल संसाधन विभाग मनोहरथाना कार्यालय के अन्दर चला गया था तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के पूर्व निर्धारित इशारे की प्रतिक्षा में तहसील परिसर में मुकिम हुआ। समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा बिना कोई इशारा किये अपनी मोटरसाईकिल से जल संसाधन विभाग मनोहरथाना से रवाना हुआ तथा उसके पीछे-पीछे एक मोटरसाईकिल से एक व्यक्ति रवाना हुआ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा को कॉल कर पूछा तो उसने कहा मुझे जल संसाधन विभाग में जेईएन साहब मंशाराम जी मिल गये थे। मैंने उनसे आपके कहेनुसार कहा कि मैं दो दिन से 8,000/-रूपये लेकर घूम रहा हूं। मगर अनिल लोधा ना तो अपनी दुकान पर है और ना ही उसका मोबाईल चालू है। इस चक्कर में मैंने अपना काम भी रोक रखा है। 8,000/-रूपये अभी मेरे पास है, आप इन्हे ले लो और मेरा काम चालू करवा दो। इस पर श्री मंशाराम जी ने कहा कि रूपये तो अनिल को ही देना और काम चालू करने की भी उसको बता देना। उनके द्वारा मुझसे सीधे रूपये नही लिये गये। उन्होने अनिल लोधा को रूपये देने व उससे पूछकर काम चालू करने की कहा है। हमारे बीच जो भी बाते हुई थी वह मैंने आप द्वारा सुपुर्द डीवीआर में रेकॉर्ड कर ली है। जेईएन साहब मंशाराम जी भी मेरे पीछे-पीछे मोटरसाईकिल से निकल गये थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को पेट्रोल पम्प के आस-पास पहुंचने के निर्देश दिये गये तथा श्री गोपाल लाल सउनि को अपनी टीम के साथ धीरे-धीरे सरकारी वाहन से झालावाड़ पहुंचने के निर्देश दिये जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम पेट्रोल पम्प के पास मनोहरथाना के लिए रवाना हुआ। समय 12.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम पेट्रोल पम्प के पास मनोहरथाना पहुंचा। परिवादी एकान्त में अपनी मोटरसाईकिल से खड़ा दिखाई दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी को प्राईवेट वाहन की साईड में बुलाकर डीवीआर प्राप्त किया। परिवादी ने पूर्व में मोबाईल फोन पर बताये हालात दौहराकर डीवीआर में जेईएन और स्वयं की हुई वार्ता रेकॉर्ड होना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी को निर्देशित कर परिवादी से रिश्वत राशि 8,000/-रूपये जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर उसके पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर आईन्दा आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के उपस्थित होने व उसके द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर उसको रिश्वत नही देने व यथाशीघ्र मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर सूचित करने की हिदायत की गई। चूंकि आज आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा मनोहरथाना में उपस्थित नही है व उसका मोबाईल भी स्विच ऑफ है तथा आरोपी जेईएन श्री मंशाराम ने परिवादी से कहा है कि अनिल को ही रूपये देकर काम चालू कर लेना। ऐसी परिस्थिति में आईन्दा दोनो आरोपीगण के मनोहरथाना में उपस्थित होने पर परिवादी द्वारा कॉल कर सूचित करने के उपरान्त ही ट्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। हालात जरिये मोबाईल उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम जरिये प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 03.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से मय ट्रैप बॉक्स इत्यादि उपकरणों के एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। स्वतंत्र गवाह श्री रितिक बागड़ी के पास रखवाये गये रिश्वत राशि 8,000/-रूपये का लिफाफा श्री गोपाल लाल सउनि के सुपुर्द करवाया तथा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को भी श्री गोपाल लाल सउनि के सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र

गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर आईन्दा तलब करने पर कार्यालय एसीबी झालावाड़ में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 26.05.2026 समय 12.10 पीएम पर उक्त मामले में कार्यवाही कर रहे श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक के अवकाष पर होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा के मोबाईल पर कॉल कर हालात मालूम किये गये तो परिवादी ने बताया कि दलाल श्री अनिल लोधा ने मेरे पास सम्पर्क नही किया है और वह अपनी दुकान पर भी नही आ रहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी दलाल द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर शीघ्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत की गई। दिनांक 08.06.2026 समय 04.00 पीएम पर मन् साजिद खान पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा अभी भी अपनी दुकान पर नही आ रहा है। ना ही उसके द्वारा मुझसे कोई सम्पर्क किया गया है। यदि वह मुझे मिल जायेगा या सम्पर्क करेगा तो मैं आपके कार्यालय में आ जाउंगा या मोबाईल पर सम्पर्क कर बता दूंगा। दिनांक 24.06.2026 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा पुत्र श्री बाबूलाल जाति लोधा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील मनेाहरथाना जिला झालावाड़ कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ के नाम एक प्रार्थना पत्र स्वयं हस्त लिखित ट्रैप कार्यवाही की सम्भावना नही होने से रिश्वत राशि लौटाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। जिसका अवलोकन किया तो निम्न प्रकार है कि ‘‘मेरे द्वारा दिनांक 17.05.2026 को आपके कार्यालय में मनोहरथाना के जल संसाधन विभाग के जेईएन मंशाराम तथा अनिल लोधा के विरूद्ध रिश्वत मांगने सम्बंधि शिकायत प्रस्तुत की थी। आपके कार्यालय द्वारा सत्यापन की कार्यवाही की गई तथा इसके बाद दिनांक 20 व 21.05.2026 को ट्रैप टीम द्वारा प्रयास किया गया। आरोपी दलाल दिनांक 20.05.2026 को जमीन सम्बंधि किसी विवाद होने के कारण मनोहरथाना में नही मिला तथा आरोपी जेईएन मंशाराम को रिश्वत राशि देने का प्रयास किया तो जेईएन मंशाराम ने बताया कि राशि अनिल को ही देना तथा अगले दिन आरोपी अनिल का मोबाईल फोन स्विच ऑफ होने की वजह से दलाल अनिल से सम्पर्क नही हो सकने के कारण ट्रैप कार्यवाही नही हो सकी। आज से 02-03 दिन पहले मुझे अनिल मिला तो उसने पैसे लेने से सम्बंधि कोई बात नही की तथा उसने मुझसे कहा कि तु आराम से जेसीबी चला ले। अब मुझे लगता है कि अनिल को कोई शंका हो गई है। इसलिए वह मुझसे ना तो पैसो के लिए फोन करता है और ना ही कोई इस सम्बंध में बात करता है। ट्रैप प्रयास के कई दिन बाद तक वह अपनी मोटरसाईकिल सर्विस की दुकान पर भी दिखाई नही दिया। अब मुझे लगता है कि दोनो आरोपीगणों को मुझ पर शंका हो गई है तथा वह मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगे। अत मेरे द्वारा पूर्व में ब्यूरो को सुपुर्द की गई 8000/रूपये की रिश्वत में दी जाने वाली राशि लौटाने की कृपा करे।’’ परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से आरोपीगणों को परिवादी पर शंका हो गई है तथा वह परिवादी से रिश्वत राशि लेने हेतु कोई सम्पर्क नहीं कर रहे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के चेम्बर मे जाकर हालात अवगत करवाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अवलोकन कर नियमानुसार राशि लौटाई जाए मार्क कर अपने हस्ताक्षर किये गये। परिवादी के बतायेनुसार आरोपीगण को उस पर शंका हो जाने के कारण अब वह उससे रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगें। अत परिवादी को नियमानुसार पूर्व में ट्रैप कार्यवाही हेतु जमा कराई गई रिश्वत राशि 8000/-रूपये लौटाये जाने है। अत पूर्व में पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करने हेतु कार्यालय पत्रांक 687 दिनांक 24.06.2026 जारी कर उपवन सरक्षंक, वन विभाग झालावाड़ के नाम पत्र जरिये ई-मेल प्रेषित किया गया। समय 01.30 पीएम पर उपवन सरंक्षक, झालावाड़ का पत्रांक 7858 दिनांक 24.06.2026 मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर दो स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीकान्त भील, वरिष्ठ सहायक व श्री भंवर सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित हुये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया तो उसमे पूर्व में कार्यवाही में साथ गये श्री रितिक बागड़ी, कनिष्ठ सहायक का नाम नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीकान्त से पूछा गया तो उसने बताया कि श्री रितिक बागड़ी आज राजकार्य से जयपुर गये हुये है। इसलिए श्री भंवर सिंह कनिष्ठ सहायक को उनकी जगह भिजवाया गया है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान का पुन नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति भील उम्र 34 वर्ष निवासी प्राईमरी स्कूल के पीछे, नई आबादी असनावर पुलिस थाना व तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ मों.न. व दूसरे ने अपना नाम श्री भंवर सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी लंका कॉलोनी बारां हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ मों.न. का होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश रिश्वत राशि लौटाने बाबत् प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 21.05.2026 को ट्रैप कार्यवाही प्रयास के समय परिवादी श्री राहुल लोधा एवं आरोपी श्री मंशाराम जेईएन के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। समय 01.35 पीएम पर उपस्थित दोनो गवाहान श्री लक्ष्मीकान्त व श्री भंवर सिंह को बताया कि परिवादी श्री राहुल लोधा एवं आरोपी श्री मनसाराम जेईएन के मध्य दिनांक 21.05.2026 को समय 12.02 पीएम से, तहसील परिसर में स्थित जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता हुई थी। जिसको परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द

ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) में रिकॉर्ड किया था। उक्त रिकॉर्डेड रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुना गया तथा वार्ता में हुई आवाजो की पहचान परिवादी द्वारा की गई, उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मनसाराम सहायक अभियन्ता की होना सुन कर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ताओं को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.05 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री राहुल लोधा व आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा व श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मनोहरथाना जिला झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 18.05.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम दिनांक 20.05.2026 को समय 06.15 एएम पर तैयार की गई थी, परिवादी श्री राहुल लोधा व श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मनोहरथाना जिला झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 18.05.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय दिनांक 20.05.2026 को समय 08.00 एएम पर तैयार की गई थी, परिवादी श्री राहुल लोधा व आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 18.05.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय दिनांक 20.05.2026 को समय 09.20 एएम पर तैयार की गई थी तथा परिवादी श्री राहुल लोधा व आरोपी श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता के मध्य रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता से संबंधित वार्तालाप दिनांक 21.05.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 24.06.2026 को समय 01.35 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त चारो वार्ताए कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1) में रिकॉर्डेड थी। उक्त चारों वार्ताओ को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में बारी-बारी Sandisk 16 GB के पेनड्राईव लगाकर पांच क्लोनिंग पेनड्राईव तैयार करवाये गये। पांचो पेनड्राईव व मूल मेमोरी कार्ड Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1 की पृथक से हैश वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा पांचो पेनड्राईव में से एक पेनड्राईव आरोपी श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता के लिये, एक पेनड्राईव आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर चारों पेनड्राईव को सील मोहर किये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk ultra 16 GB 10A1 micro SD HC1 में रिकॉर्डेड चारों वार्ताओं के मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मूल मेमोरी कार्डस को निकालकर बतोर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर षिल्डचिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेनड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती मेमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पीएम पर उपरोक्त दोनो गवाहान के समक्ष पूर्व में परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा श्री मंशाराम सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मनोहरथाना जिला झालावाड़ व दलाल श्री अनिल लोधा द्वारा रिश्वत मांग किये जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 18.05.2026 के उपरान्त दिनांक 20.05.2026 को 500-500 के 16 नोट कुल 8,000/-रूपये ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय में पेश किये थे। आज दिनांक 24.06.2026 को परिवादी श्री राहुल लोधा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मैनें दिनांक 20 व 21.05.2026 को एसीबी की टीम लेजाकर आरोपी श्री मंशाराम जेईएन व दलाल अनिल लोधा को ट्रैप करवाने का प्रयास किया गया था। श्री अनिल लोधा दलाल का जमीन सम्बंधि विवाद होने के कारण वह मनोहरथाना में नही मिला था। इस पर मैने आरोपी जेईएन श्री मंशाराम को रिश्वत राशि देने का प्रयास किया तो मंशाराम जी ने कहा कि रूपये अनिल को ही देना। इस पर मैंने आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा को कई बार फोन किया मगर उसका मोबाईल स्विच ऑफ होने की वजह से सम्पर्क नही हो सका। ट्रैप प्रयास कार्यवाही के कई दिन बाद तक वह अपनी मोटरसाईकिल सार्विस की दुकान पर भी दिखाई नही दिया। अभी 02-03 दिन पहले मुझे अनिल लोधा मिला तो उसने पैसे लेने सम्बंधि कोई बात नही की तथा मुझसे कहा कि तु आराम से जेसीबी चला ले। अब मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि श्री अनिल लोधा दलाल को मुझ पर कोई शंका हो गई है। इसलिए वह मुझसे ना तो पैसो के लिए फोन करता है और ना ही कोई इस सम्बंध में बात करता है। अब मुझे लगता है कि दोनो आरोपीगणों को मुझ पर शंका हो गई है तथा वह मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगे। अत मेरे द्वारा पूर्व मे ब्यूरो कार्यालय में सुपुर्द की गई 8,000/-रूपये की रिश्वत राशि में दी जाने वाली राशि लोटाने की कृपा करें। परिवादी श्री राहुल लोधा की कार्यालय मालखाना में जमा राशि 8,000/- रूपये वापस लौटाने हेतु कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर उसके द्वारा कार्यालय में पूर्व में प्रस्तुत राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8 हजार रूपये को जरिये श्री गोपाल लाल सउनि द्वारा मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगा फिनाफ्थलीन पाउडर फटकार कर नियमानुसार परिवादी

श्री राहुल लोधा को उपरोक्त गवाहान के समक्ष वापस लौटाये गये। जिसकी पृथक से फर्द सुपुर्दगी नोट नियुमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राहुल लोधा को कार्यालय से रूकसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 17.05.2026 को परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र रिश्वत खोर अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने बाबत् पेश किया कि "मैं राहुल लोधा पिता बाबूलाल लोधा बड़गांव, मनोहरथाना का रहने वाला हूं। मैं अपनी षामलाती पैतृक भूमि रकबा लगभग 3 बीघा जो कि कालीखाड़ डेम के किनारे उत्तर दिशा में है, जहां पर डेम डूब क्षैत्र में खाताबंदी की जगह से जिसका सरकार द्वारा मुआवजा भी नही दिया गया है। वहां से मैं अच्छी गुणवता वाली मिट्टी तीन-चार दिन पहले अपने खेत में ला रहा था। उसी दिन रात को सहायक अभियन्ता मनसाराम जी ने मेरे जेसीबी चालक के पास फोन किया कि तुम अवैध रूप से मिट्टी निकाल रहे हो। जेसीबी चालक ने उसी समय मेरी भी बात मनसाराम जी से कराई। मनसाराम जी ने मुझे धमकाते हुये कहां कि दस हजार रूपये आपको देने पडेगे, नही तो मैं आपकी जेसीबी और ट्रैक्टर सब जब्त करवा दूंगा। अगले दिन मनसाराम जी के दलाल अनिल लोधा से मैं मिला तो उसने भी दस हजार रूपये देने की बात कही। मैं इन दोनों को रिश्वत नही देना चाहता, बल्कि रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे (दोनो से) कोई पुराना लेनदेन बकाया नही है। अत श्रीमान उक्त दोनो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे।" परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मंशारामजी सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग मनोहरथाना ने मुझसे दलाल श्री अनिल लोधा से मिलने की कहा है। मैं जब अनिल लोधा से मिला तो उसने भी दस हजार रूपये रिश्वत देने की कहा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कराने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे जरूरी काम है। मैं कल दिनांक 18.05.2026 को सहायक अभियन्ता श्री मंशाराम जी व दलाल श्री अनिल लोधा का पता कर आपको काल कर दूंगा। आप आपके कार्यालय से किसी एसीबी कर्मचारी को डीवीआर लेकर मनोहरथाना भिजवा देना। इस पर दिनांक 18.05.2026 समय 09.30 एएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 को डीवीआर सुपुर्द कर परिवादी से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु मनोहरथाना रवाना किया गया। बाद रिश्वत मांग सत्यापन समय 06.00 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि मय डीवीआर के कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हो चुका है, परिवादी श्री राहुल लोधा के निवेदन करने पर आरोपी जेईएन श्री मंशाराम व दलाल श्री अनिल लोधा परिवादी से 10,000/-रूपये के स्थान पर 8,000/-रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गये है तथा दलाल श्री अनिल लोधा ने अपने लिए परिवादी से 500रूपये या 1000रूपये अलग से देने की कहा है। इस पर डीवीआर को चलाकर सुना गया तो तीन रिकॉर्डिंग फाईलो मे रिश्वत मांग सत्यापन होना पाया गया। रिश्वत मांग की पुष्टि होने व मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की धारा 7, 7ए एवं 61(2) बीएनएस 2023 की परिधि में आना पाया जाने पर दिनांक 20.05.2026 को दो स्वतंत्र गवाह तलब कर रिश्वत मांग सत्यापन प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाताओं की पृथक-पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्टो के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा द्वारा परिवादी के खेत में डेम की उपजाऊ मिट्टी डालने की एवज में (जो पूर्व में परिवादी का ही खेत था, जो डेम के डूब क्षैत्र में आने व उसका मुआवजा भी परिवादी को नही मिला था) श्री मंशाराम जेईएन जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के लिए 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग की तथा परिवादी श्री राहुल लोधा द्वारा आरोपी श्री मंशाराम जेईएन से निवेदन किया कि अनिल तो दस हजार रूपये की कह रहा है। दस हजार तो बहुत ज्यादा हो जायेगे, थोड़ा कम कर लो, क्यो कि मैं तो अपने ही खेत की मिट्टी उठा रहा हूं, मुझे अभी खेत का मुआवजा भी नही मिला है, दो-एक हजार रूपये कम कर लो। इस पर श्री मंशाराम जेईएन ने परिवादी से कहा कि मैं अनिल को बता दूंगा और अपनी सहमति जाहिर की। इस पर परिवादी पुन श्री अनिल लोधा दलाल से मिला और कहा कि जेईएन साहब 8,000/-रूपये आपको देने की कहा है। इस पर दलाल श्री अनिल लोधा ने कहा ठीक है दे जाना, मैं जेईएन साहब के पास पहुंचा दूंगा तथा मेरा भी अलग से 500 या 1000/रूपये कर देना। इस पर परिवादी ने कहा कि आप चिन्ता मत करो, आपको भी दे देंगे। मैं एक-दो दिन में रूपयो का इन्तजाम कर आपको दे जाउंगा। इस पर दिनांक 20.05.2026 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के ट्रैप कार्यवाही हेतु समय 12.30 पीएम पर मनोहरथाना पहुंचकर ट्रैप जाल बिछाया। दो टीमों का गठन कर एक टीम को जल संसाधन विभाग मनोहरथाना में आरोपी श्री मंशाराम की निगरानी हेतु तथा मन् पुलिस निरीक्षक दूसरी टीम को लेकर आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की मोटरसाईकिल सर्विस की दुकान पर अवन्ति बाई चौराया मनोहरथाना पहुंचा। आरोपी श्री मंशाराम जेईएन के कहेनुसार आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा को रिश्वत राशि 8,000/-रूपये देने हेतु परिवादी श्री राहुल लोधा को उसकी मोटरसाईकिल सर्विस की दुकान पर भिजवाया गया तो आरोपी दलाल दुकान पर नही मिला। उसकी दुकान पर काम करने वालो ने बताया कि वह अपने गांव की तरफ गये है। समय 04.00 पीएम पर पहली टीम द्वारा बताया गया कि आरोपी मंशाराम जेईएन जल संसाधन विभाग मनोहरथाना अपने कार्यालय को लॉक करवाकर प्राईवेट वाहन से निकल गये है। इस पर समय 04.15 पी एम पर आरोपी जेईएन श्री मंशाराम के अपने कार्यालय से निकल जाने तथा आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा के भी अपनी दुकान पर उपस्थित नही आने पर ऐसी परिस्थितियों में ट्रैप कार्यवाही की संभावना नही होने पर दिनांक 21.05.2026 को ट्रैप कार्यवाही का निर्णय लिया गया। दिनांक 21.05.2026 को मन् पुलिस

निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व एसीबी टीम के समय 08.00 एएम पर रवाना होकर समय 10.00 एएम पर मनोहरथाना पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा। जहां पूर्व में पाबन्द शुदा परिवादी श्री राहुल लोधा उपस्थित मिला। परिवादी को रिश्वत राशि व डीवीआर उपलब्ध करवाकर पुन आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान पर रवाना किया तथा उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के रवाना हुआ तथा एक टीम को आरोपी जेईएन श्री मंशाराम की निगरानी हेतु तहसील कार्यालय स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय मनोहरथाना भिजवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के अवन्ति बाई चौराया मनोहरथाना आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान के पास पहुंचा। परिवादी को दलाल श्री अनिल लोधा की दुकान पर भिजवाया तो समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा बिना कोई इशारा किये आरोपी दलाल की दुकान से रवाना हुआ। जिसके पास मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के जाकर मिला तो परिवादी श्री राहुल लोधा ने बताया कि मैनें उसकी दुकान पर काम करने वाली मिस्त्रीओ से अनिल लोधा के बारे मे पूछा तो उन्होने बताया कि वह अपने गांव गया था। गांव में जमीन का कोई विवाद होने के कारण लड़ाई-झगड़ा हो गया है। इस पर मैनें कई बार दलाल श्री अनिल लोधा के मोबाईल पर कॉल लगाया, परन्तु उसका मोबाईल स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को समझाईस कर रिश्वत राशि सीधे ही आरोपी श्री मंशाराम जेईएन को देने हेतु भिजवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के परिवादी के पीछे-पीछे जल संसाधन विभाग मनोहरथाना के आस-पास पहुंचकर ट्रैप जाल बिछाया। कुछ समय बाद परिवादी श्री राहुल लोधा जल संसाधन कार्यालय मनोहरथाना से बिना कोई इशारा किये रवाना हुआ। जिसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के रवाना हुआ तथा जरिये मोबाईल परिवादी राहुल लोधा से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मुझे जल संसाधन विभाग में जेईएन साहब श्री मंशाराम जी मिल गये थे, मैने आपके कहेनुसार उनसे कहां कि मैं दो दिन से 8,000/-रूपये लेकर घूम रहा हूं, मगर अनिल लोधा ना तो अपनी दुकान पर है और ना ही उसका मोबाईल चालू है। इस चक्कर में मैनें अपना काम भी रोक रखा है, 8,000/-रूपये अभी मेरे पास है, आप इन्हे ले लो और मेरा काम चालू करवा दो। इस पर श्री मंशाराम जी ने कहां कि रूपये तो अनिल को ही देना और काम चालू करने की भी उसको बता देना। उनके द्वारा मुझसे सीधे रूपये नही लिये गये, उन्होने अनिल लोधा को रूपये देने व उससे पूछकर ही काम चालू करने की कहा है। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई है वह मैने डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है। जेईएन साहब मंशाराम जी भी मेरे पीछे-पीछे मोटरसाईकिल से कही निकल गये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को पेट्रोल पम्प के आस-पास पहुंचने के निर्देश दिये तथा दूसरी टीम को भी एसीबी कार्यालय झालावाड़ रवाना होने के निर्देश दिये। पेट्रोल पम्प पर पहुंचकर परिवादी से डीवीआर एवं रिश्वत राशि 8,000/-रूपये प्राप्त किये तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर आईन्दा आरोपी दलाल श्रीर अनिल लोधा के उपस्थित होने व उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर यथाशीघ्र मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर सूचित करने व मामले की गोपनीयता रखने की हिदायत की गई। ऐसी परिस्थितियो में आईन्दा दोनो आरोपीगण के मनोहरथाना में उपस्थित होने पर परिवादी द्वारा कॉल कर सूचित करने के उपरान्त ही ट्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। हालात जरिये मोबाईल उच्चाधिकारियो को अर्ज किये गये तथा परिवादी को रूकसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम समय 12.30 पीएम पर रवाना होकर 03.00 पीएम पर वापस कार्यालय पहुंचा। दिनांक 26.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक के अवकाश पर होने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा परिवादी श्री राहुल लोधा को कॉल कर हालात मालुम किये गये तो परिवादी ने बताया कि अनिल लोधा ने अभी तक मुझसे सम्पर्क नही किया है और ना ही रिश्वत राशि की मांग की। दिनांक 08.06.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पुन कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा अभी भी अपनी दुकान पर नही आ रहा है और ना ही उसने मुझसे रिश्वत राशि के बारे में बात की है। दिनांक 24.06.2026 को समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री राहुल लोधा कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम एक प्रार्थना स्वयं हस्तलिखित ट्रैप कार्यवाही की संभावना नही होने से रिश्वत राशि लौटाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। जिसका मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आज से दो-तीन दिन पहले मुझे अनिल मिला तो उसने पैसे लेने से सम्बंधि कोई बात नही की तथा उसने मुझसे कहा कि तु आराम से जेसीबी चला। अब मुझे लगता है कि अनिल को मुझ पर कोई शंका हो गई है, इसलिए वह मुझसे ना तो पैसो के लिए फोन करता है और ना ही इस सम्बंध में बात करता है। दोनो आरोपीगणों को मुझ पर शंका हो गई है, वह मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगे। अत मेरे द्वारा पूर्व में ब्यूरो को सुपुर्द की गई 8,000/-रूपये की रिश्वत में दी जाने वाली राशि लौटाने की कृपा करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को हालात अवगत करवाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर नियमानुसार राशि लौटाने के निर्देश दिये। जिस पर पुन दो स्वतंत्र गवाह तलब कर दिनांक 21.05.2026 को परिवादी व आरोपी श्री मंशाराम जेईएन के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ताओं की हैस वैल्यू निकालकर क्लोनिंग पेन्ड्राईव तैयार कर फर्द पेनड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती मेमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव तैयार की गई। समय 04.00 पीएम पर मालखाना प्रभारी श्री गोपाल लाल सउनि को निर्देशित कर मालखाना में जमा रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/-रूपये का लिफाफा निकलवाया जाकर नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन

पाउडर फटकार नियमानुसार परिवादी श्री राहुल लोधा को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वापस लौटाये गये। जिसकी पृथक से फर्द सुपुर्दगी नोट नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता से आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री मंशाराम, सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मनोहरथाना जिला झालावाड़ व आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा निवासी बड़गांव, मनोहरथाना जिला झालावाड़ के विरूद्ध उपरोक्त धारा में अपराध पंजीबद्ध करने की अनुशंषा कर रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 690 दिनांक 25.06.2026 से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड को प्रस्तुत की गई जिसको श्रीमान द्वारा कार्यालय पत्रांक 692 दिनांक 28.06.2026 द्वारा श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो कोटा रेंज कोटा के मार्फत ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भिजवाई गई। जिस पर ब्यूरो मुख्यालय जयपर द्वारा उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर परीक्षणोपरान्त आरोपी श्री मंशाराम सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग मनोहरथाना जिला झालावाड़ व आरोपी दलाल श्री अनिल लोधा निवासी बडगांव मनोहरथाना जिला झालावाड़ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर मय सेवा विवरण नियमानुसार बिना नम्बरी एफआईआर भिजवाने हेतु ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 8317-18 दिनांक 30.07.2026 द्वारा निर्देशित किया जाने पर आरोपीगण 1. श्री मंशाराम पुत्र श्री बजरंग लाल नागर जाति नागर उम्र 31 साल निवासी ग्राम व पोस्ट सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन विभाग झालावाड़ मो.न. व 2. श्री अनिल लोधा पुत्र श्री चम्पालाल जाति लोधा उम्र 32 साल निवासी ग्राम बेलाश (बड़गांव) तहसील व थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़। (दलाल प्राईवेट व्यक्ति)मो.न. के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।भवदीय (साजिद खान) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1- श्री मंशाराम पुत्र श्री बजरंग लाल नागर जाति नागर उम्र 31 साल निवासी ग्राम व पोस्ट सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन विभाग झालावाड़ एवं 2- श्री अनिल लोधा पुत्र श्री चम्पालाल जाति लोधा उम्र 32 साल निवासी ग्राम बेलाश (बड़गांव) तहसील व थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (दलाल प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा शहर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 97 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1303-06 दिनांक 06.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijay Kumar Swarnkar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/08/2026 13:48:29

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)